



Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 23-24/1205/1

12th May, 2023

BSE Limited

Department of Corporate Services

Pheroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai - 400 001

(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051

(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

Subject: - Submission of Copy of Newspaper Advertisement

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated Friday, 12th May, 2023 published in Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Sharda Motor Industries Limited**

Iti Goyal

**Assistant Company Secretary
& Compliance Officer**

Encl. as above

Regd. Office : D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax : 91-11-26811676

E-mail : smil@shardamotor.com, Website : www.shardamotor.com

CIN NO-L74899DL1986PLC023202



दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी, परसेफान मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल संजय सिंह डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "एक ही रास्ता" ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम "सिटीजंस प्रेटीट्यूट दू गैलेंट वारियर 2023" के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए।

वृजभूषण पर आरोप लगाने वाली नाबालिग का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज

नई दिल्ली, (बीओ) भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाएं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "नाबालिग महिला

पहलवान का बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। शेष छह महिला पहलवानों के बयान भी जल्दी ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाने से संबंधित है। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत नाबालिग शिकायतकर्ता सहित सभी सात महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों की जांच से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थी। सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर देश के कई पहलवान 23 अप्रैल से यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं।

जेआरसी और ब्रिगेड सदस्यों को किया सम्मानित

फरीदाबाद, (बीओ) राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा फरीदाबाद की जूनियर रेडक्रॉस, गाइड्स और सैट जॉन एंग्लेस ब्रिगेड ने प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा की अध्यक्षता में विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को प्रार्थना सभा में सम्मानित किया। जे आर सी और ब्रिगेड अधिकारी प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेडक्रॉस दिवस पर भाषण, निबंध, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग आदि के माध्यम से थैलेसीमिक बच्चों और व्यक्तियों को सहायता करने के लिए प्रेरित किया।

प्राचार्य रविंद्र कुमार मनचंदा ने कहा कि थैलेसीमिया बच्चों को माता-पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट तथा चाइल्ड वेलफेयर कार्टिसिल के सहयोग से पकड़े गए तीन बच्चे

गोहाना, (राजेश आहूजा)। बाल मजदूरी व बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में गुरुवार को गोहाना में विशेष अभियान चलाते हुए तीन बच्चों को पकड़ा गया। अभियान में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कार्टिसिल (सीडब्ल्यूसी) ने विशेष सहयोग दिया। इसके पहले खरखोदा में यह अभियान चलाते हुए बच्चों व उनके अभिभावकों को बाल मजदूरी व बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूक किया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता शर्मा के निर्देशानुसार सोशल वर्कर उपासना ने सीडब्ल्यूसी की चेरपर्सन अनीता शर्मा तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एएसआई अनिल तथा संदीप और चाइल्ड लाइन से गीता के साथ मिलकर गोहाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई (रेड) की। इस कार्रवाई में तीन बाल मजदूरी व भिक्षावृत्ति करते

15 मई को बड़ी संख्या में किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार



17 दिनों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान सभा के नेतृत्व में धरना देते किसान।

ग्रेटर नोएडा, (बीओ)। 17 दिनों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसान सभा के नेतृत्व में धरना दे रहे किसानों ने आज फिर दोहराया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। किसान सभा के प्रवक्ता डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि 15 मई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान परिवार सहित आने को तैयार हैं सभी प्रभावित गांव में किसान सभा की गांव कमेटियां बन चुकी हैं और साथ ही साथ गांव की महिलाओं में काफी हद तक महिला समितियों का गठन भी हो चुका है। प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों के साथ जो अन्याय कर रहा है वह किसी भी रूप में बदरस्त नहीं होगा क्योंकि 10 प्रतिशत

विकसित प्लाट, सभी किसानों को समान रूप से मिलना चाहिए, प्राधिकरण की आवश्यक योजनाओं में किसानों को 17दस करोड़ की बहाली हो साथ ही साथ प्राधिकरण क्षेत्र में लगने वाले उद्योग धंधों में क्षेत्रीय युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। किसान सुरेंद्र नारायण का कहना है कि प्राधिकरण रजिस्ट्री द्वारा हमारी बेशकमती जमीनों को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद रहा है जबकि नए भूमि अधिग्रहण को देश में लागू हुए 8 साल से ऊपर का समय बीत चुका है अगर प्राधिकरण को हमारी जमीनों की आवश्यकता है तो हमारी जमीनों का कानून के अनुसार बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा देकर जमीन खरीदे।

संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

जानबूझकर बीच सड़क में खड़ा किया ट्रक, नहीं हटाने पर पुलिस में शिकायत

नोएडा, (बीओ)। नोएडा में एक ट्रक चालक ने अपने वाहन को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया जिसके कारण रास्ता जाम हो गया। पुलिस के अनुसार उसने कहने पर भी रास्ते से ट्रक नहीं हटाया गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस में तैनात एक उपनिरीक्षक ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना फुसे- वन के प्रभारी निरीक्षक ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि यातायात विभाग में तैनात टोएसआई राजवीर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अजीत सिंह नामक ट्रक चालक ने डीएनडी लूप के पास अपना 10 टायर वाला ट्रक जानबूझकर सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे मार्ग अवरुद्ध

हो गया। अधिकारी के अनुसार जब उससे ट्रक हटाने के लिए कहा गया तो उसने ट्रक नहीं हटाया। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अदालत ने तीन को आगजनी और चोरी के आरोपों से बरी किया

नई दिल्ली, (भाषा)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुये दंगों के दौरान आगजनी और चोरी की वारदात में शामिल तीन लोगों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी असमर्थ रहा कि जिन घटनाओं की जांच की जा रही है उसके पीछे दंगाई भीड़ थी। अदालत दिनेश यादव, संदीप और टिकू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ उस दंगाई भीड़ में शामिल होने का आरोप था, जिसने फर्नीचर की एक दूकान में तोड़फोड़ और चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उनके खिलाफ 24 और 25 फरवरी 2020 की रात को भागीरथी विहार में एक सिलाई इकाई को नष्ट करने के लिए आग और विस्फोट पदार्थ का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने बुधवार को अपने फैसले में कहा, "मुझे लगता है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल भी साबित नहीं हुए हैं। इसलिए, आरोपी... इस

मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किए जाते हैं। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष का यह आरोप है कि ये लोग उस भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि हालांकि, अभियोजन यह भी साबित नहीं कर सका कि इन घटनाओं के पीछे भीड़ थी, और उस स्थिति में निष्कर्ष यह है कि घटनाओं में अभियुक्तों की संलिप्तता दिखाने के लिए रिपोर्ट पर कोई साक्ष्य नहीं है। एएसजे प्रमाचला ने कहा कि इस बात की जबरदस्त संभावना हो सकती है कि दोनों स्थानों पर घटनाएं दंगाई भीड़ के कारण हुईं लेकिन संभावना सबूत नहीं बन सकती। न्यायाधीश ने कहा, "...यह सुनवाई के सबूतों या केवल संभावना के आधार पर अभियोजन पक्ष के अनुमान का मामला बना हुआ है कि इन घटनाओं के पीछे एक भीड़ थी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि अनुमान या मजबूत संदेह सबूत का विकल्प नहीं हो सकता है, और इसलिए सबूत के अभाव में यह नहीं माना जा सकता है कि दोनों घटनाओं के पीछे दंगाई भीड़ थी।

वर्तनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने वेब मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। दादरी तहसील में बिल्डर पर यूपी रेरा की आरसी का 123.55 करोड़ रुपये बकाया है। बार-बार नोटिस के बाद भी बिल्डर पैसा जमा नहीं कर रहा है। आरसी का पैसा वसूलने के लिए प्रशासन बिल्डर की 111 संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। अब प्रशासन ने कुर्क संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 38 संपत्तियों को नीलाम कराया जाएगा। इनकी नीलामी 29 मई को होगी। इन 38 संपत्तियों को कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है। नीलामी सफल होने से प्रशासन को बड़ी धनराशि मिलेगी। उस धनराशि से खरीदारों का पैसा लौटाया जाएगा। बिल्डरों की बाकी 73 संपत्तियों का सब रजिस्टर से मूल्यांकन कराया जा रहा है।

फरीदाबाद, (बीओ)। बीते पांच मई को सेक्टर-12 टाउन पार्क में व्यक्ति को हुई गला घोटकर हत्या के मामले में काइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी दीपक कुमार को टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मूलचन्द उर्फ विकास और सराफत खान शामिल है। आरोपी मूलचन्द मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव टपल का तथा वर्तमान में गांव सारन में तथा आरोपी सराफत खान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव शाहपुर का तथा वर्तमान में फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। काइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों को पाली चौक सारन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 मई को एक बारात में लडकियों से छेड़छाड़ की थी मृतक द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने मृतक को अपने आँटों में जबरदस्ती बिठा लिया था और टाउन पार्क ले आये थे। टाउन पार्क में आरोपीयों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान प्यारु निवासी बड़जवा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। आरोपियों से वारदात में प्रयोग आँटो बरामद किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश कर शिनाख्त प्रेड करने के लिए पुलिस रिमाण्ड पर लिया जाएगा।

18वीं मंजिल से गिरा मजदूर 12वीं मंजिल पर फंसा, मौत पर फंसा, मौत

नोएडा, (बीओ)। जिले के थाना बिसरख क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत भवन में काम कर रहा एक मजदूर 18वीं मंजिल से गिर कर 12वीं मंजिल पर फंसा गया और वहां से उतार कर अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को राइस सिटी के पास निर्माणाधीन वर्मा हाइट्स नामक सोसाइटी में काम करते समय साकिर (35 वर्ष) 18 वीं मंजिल से गिरा और 12वीं मंजिल पर फंसा गया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी साकिर को वहां काम कर रहे लोगों ने उतारा और अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। सिंह के अनुसार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन को शिकायत पर बिल्डर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

नोएडा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

नोएडा, (बीओ)। थाना बिसरख क्षेत्र के इटेंडा गांव में एक युवक ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 122 में रहने वाले लवकुश पांडे (23) पुत्र सुरेश पांडे ने बुधवार को इटेंडा गांव में स्थित ड्यूग्री बस्ती में जाकर कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना गवाह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

टाउन पार्क में हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले में काइम ब्रांच ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

फरीदाबाद, (बीओ)। बीते पांच मई को सेक्टर-12 टाउन पार्क में व्यक्ति को हुई गला घोटकर हत्या के मामले में काइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी दीपक कुमार को टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मूलचन्द उर्फ विकास और सराफत खान शामिल है। आरोपी मूलचन्द मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव टपल का तथा वर्तमान में गांव सारन में तथा आरोपी सराफत खान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव शाहपुर का तथा वर्तमान में फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। काइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों को पाली चौक सारन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 मई को एक बारात में लडकियों से छेड़छाड़ की थी मृतक द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने मृतक को अपने आँटों में जबरदस्ती बिठा लिया था और टाउन पार्क ले आये थे। टाउन पार्क में आरोपीयों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान प्यारु निवासी बड़जवा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई थी। आरोपियों से वारदात में प्रयोग आँटो बरामद किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश कर शिनाख्त प्रेड करने के लिए पुलिस रिमाण्ड पर लिया जाएगा।

मोटरसाइकिल चोरी करने में तीन गिरफ्तार, चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद

सोनीपत, (राजेश आहूजा)। मोटर साइकिल चोरी करने में शामिल तीन आरोपियों सहित पुत्र राजकुमार, सूरज पुत्र साहब सिंह व गौरव पुत्र सुरेश तीनों निवासी गिबाना गोहाना जिला सोनीपत को थाना सदर गोहाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुन्दर पुत्र राममहेश निवासी गाँव गोहाना जिला सोनीपत ने थाना सदर गोहाना में शिकायत दी थी कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल अपने सामने वाले पड़ोसी के घर में लॉक लगाकर खड़ी की थी और घर के गेट की कुंडी लगा दी थी लेकिन जब मैं अपनी बाइक लेने के लिए घर में गया तो मुझे वहां पर मेरी बाइक नहीं मिली जो किसी नामगना नामालूम व्यक्ति ने चोरी कर ली है। अनुसंधान पुलिस टीम ने आरोपियों को खोजबीन करते हुए उक्त तीन आरोपियों सहित, सूरज व गौरव को गिरफ्तार कर चोरीशुदा मोटर साइकिल सहित तीन मोटरसाइकिल बरामद की है।

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC023202
पंजीकृत कार्यालय: सी-188, आल्ला आजीमगंज रोड, फुसे-1, नई दिल्ली-110020
फोन नं. +91 11 4733 4100, फैक्स नं. +91 11 2681 1676
E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

सूचना
सेबी (सूचीयन बायलायट एवं प्रकटीकरण अधिनियम) विधिम. 2015 एवं अन्य लागू प्रकाशन, यदि कोई हो, के अनुसार नए एवं/वापस सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक बुधवार, 18 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ: 1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार एवं अनुमति किया जाएगा। 2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लानाम, यदि कोई हो पर विचार एवं अनुमति किया जाएगा। कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।
कृपे शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
निमित्त विनिर्दिष्ट
कार्यालय निदेशक एवं कम्पनी सचिव

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
E-mail ID: cmhobb2012@gmail.com Tel. Phone No. 07727-223550
क्रमांक/एन.एच.ए./अस्थाई भर्ती/एनएस-2651/2023-24/3414
बलौदाबाजार, दिनांक 08.05.2023

/ / सूचना / /
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले में स्वीकृत आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रिक्त पदों को अस्थाई रूप से कलेक्टर दर पर रखे जाने की अनुमति उपरार्थ अस्थाई रिक्त पदों की कलेक्टर दर पर भर्ती हेतु विज्ञापन क्र./एन.एच.ए./अस्थाई भर्ती/एनएस-2651/2022-23/2660 बलौदाबाजार दिनांक 29.03.2023 को जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के तहत सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 के अनुसार सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी। अतः विज्ञापन क्र./एन.एच.ए./अस्थाई भर्ती/एनएस-2651/2022-23/2660 बलौदाबाजार दिनांक 29.03.2023 के नियम एवं शर्त क्र. 11 एवं 12 के तहत भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है।
हस्ता./-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
जी-01036/6

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
In The Court of Ms. Neelam Singh, District Judge (Commercial Judge-02) South East District, Room No. 14, Block-I, Saket Court Complex, New Delhi.
SUIT NO. CSDJ/1694/18
Canara BankPlaintiff
Versus
Satinder Kaur Banga & AnrDefendant
To,
1. Satinder Kaur Banga At; House No. H-22, 2nd Floor, Kirtinagar, New Delhi-110015.
2. Karvin Preet Singh Banga S/o Tarvinder Singh Banga At: H. No. 387, C-87, Kirti Nagar, New Delhi-110015.
Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 29.05.2023 the day fixed for file a written statement within 30 days and appear in this court, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 08.05.2023.
Seal
District Judge (Commercial Judge-02) South East District, Saket Court Complex, New Delhi.

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order V, Rule 20 of The Code of Civil Procedure)
In The Court of Sh. Gurvinder Pal Singh, District Judge (Commercial Court)-02, New Delhi District, Annex Building, Patiala House Court, NDD, New Delhi.
Case No. TM-184/2021
Title:- Levi Strauss and Co Versus Budh Ram and Ors.
To
Mr. Dharam Prakash S/o Santosh Kumar, 2316, 1st floor, Gaffar Market, Karol Bagh, Delhi-110005.
Whereas above named Plaintiff has instituted a commercialsuit against you. You are hereby summoned to appear before this court in person or by a pleader on 30.05.2023 at 10:00 AM to answer the same.
The written statement must be filed within thirty days from the date of receipt of the summons. You are to also file affidavit of admission/denial of the documents filed by the plaintiff with written statement.
It is made clear that any unjustified denial of documents and delay in the time lines may lead to an order of costs against the concerned party.
Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court, this 21st day of April, 2023.
Seal
District Judge (Commercial Court)-02, New Delhi District, Annex Building, Patiala House Court, NDD, New Delhi.

In The Court of Sh. Deepak Vats, Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge, South-East, Room No. 203, Saket Court, New Delhi.
SS-18/2023
Mr. Parkash Chander Mehani S/o Late Shri Khush Dayal Mehani R/o F-25, 1st Floor, South Extension Part-I, Andrewsganj, South Delhi-110049.
.....Petitioner
Versus
1. The State (N.C.T. of Delhi) Through SDM. South East District.
2. ICICI Bank Ltd. AT: ICICI Bank Demat, W-57, Greater kailash-I, New Delhi-110048.
Reg. Office at: CPC-Demat Services, Ground Floor, B-Wing, Autumn Estate, Chandivali Farm Road, Opp. Mhada Colony, Chandivali, Andheri (East), Mumbai-400077.
3. Gagan Mehani S/o Mr. Parkash Chander Mehani R/o F-25, 1st Floor, South Extension Part-I, Andrewsganj, South Delhi-110049.
.....Respondents
Whereas, on application U/s 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by Mr. Parkash Chander Mehani successor of Late Mrs. Bindu Mehani for grant of Succession Certificate in respect of debts/securities of deceased. And whereas the said applicant shall come for hearing on 19.07.2023 at 10.00 A.M.
Therefore the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.
Given under my hand and seal on 08.05.2023.
Seal
Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller Commercial Civil Judge, South-East, Saket Court, New Delhi.

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED
REGD. OFFICE: D-188, OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-4, NEW DELHI-110029
E-Mail: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

SHIVAMSHREE BUSINESSES LIMITED
EXTRACT OF AUDITED/UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2023
Table with 5 columns: S. No., Particulars, Quarter Ended (31.03.2023, 31.12.2022, 31.03.2022), Year Ended (31.03.2023, 31.03.2022)

PUBLIC NOTICE
Notice: HDFC Ltd., Registered office: Ramon House, H T Park Marg, 165, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai, Maharashtra, 400022

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED
Regd Office: Flat No. 301, Metro Plaza, Parivahan Marg, Jaipur Rajasthan 302001 IN
Email: continentalsecuritiesindia@gmail.com • Website: www.continentalsecuritiesindia.com

Form No. INC-26
[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
Regional Director (Northern Region)
New Delhi

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
Registered Office: Indian Rayon Compound, Varanasi, Gujarat - 362286 Branch Address: CITY CENTRE 932-935, (OPPOSITE I.B. COLLEGE, G.T. ROAD, PANIPAT, HARYANA - 132101)
Appendix IV (See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Form No. INC 26
[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one Union Territory of Delhi to another state of Gujarat, Surat

PUBLIC NOTICE
Notice: HDFC Ltd., Registered office: Ramon House, H T Park Marg, 165, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai, Maharashtra, 400022

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED
1. Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Continental Securities Limited ("Company") will be held on Saturday, June 03, 2023 at 11:00 a.m. (IST) at the registered office of the company situated at Flat No. 301, Metro Plaza, Parivahan Marg, Jaipur, Rajasthan to transact the business as set out in the Notice of the EGM.

Form No. INC-26
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of Sub-Rule (5) of rule 30 of The Companies (Incorporation) Rules, 2014

HDFC BANK
Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013 and having one of its office as Retail Portfolio Management at HDFC Bank Ltd, 1st Floor, I-Think Techno Campus, Kanjurwad (East), Mumbai - 400042.

YES BANK
Registered and Corporate Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 India. Website: www.yesbank.in
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
Pre Sale Notice of 15 days for sale of Immovable Secured Asset under Rule 8(5) read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

PUBLIC ANNOUNCEMENT
INVITATION FOR PARTICIPATING IN THE ELECTRONIC AUCTION SALE PROCESS UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
PERFECT COLOR DIGITAL PRINTS LIMITED (under Liquidation)

Form No. INC-26
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED
Registered Office: Indian Rayon Compound, Varanasi, Gujarat - 362286 Branch Address: Aditya Birla Housing Finance Limited | D-17, Basement, Sector 3, Noida, UP 201301
Appendix IV (See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

YES BANK
Registered and Corporate Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055 India. Website: www.yesbank.in
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
(Under Rule 9 read with 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)
Inspection of the properties: Interested parties may inspect the properties on May 23, 2023 between 11:30 PM to 04:00 PM.

Table with 5 columns: S.No., Asset, Reserve Price (INR), EMD Amount (INR), Incremental Value (INR)
1. Sale of the Company Perfect Color Digital Prints Private Limited (a going concern) under Regulation 32A of IBC (Liquidation Process) Regulations, 2016.

Form No.3 [See Regulation-15 (ii)(a) / 16(3)]
PUBLICATION
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II
CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted also on 3rd and 4th Floor also)

Form No. INC-26
[Pursuant to Rule 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in Newspaper for change in Registered office of the Company from one State to another

Canara Bank
VS
M/s Prerna Electrovision
To,
1. M/s PRERNA ELECTROVISION S.C.F. No.49, Huda Market, Sector 3, Ballabgarh, Faridabad Haryana Through Its Proprietor, Faridabad, Haryana

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION
AT DELHI
In the matter of Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of: MAHAN ENERGEN LIMITED
having its registered office at "Adani House, C-105, Anand Niketan, New Delhi-110021".